

राजस्थान सरकार  
शिक्षा-विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (पॉलिसी) आकाशि/अनु/2010-11/1003

दिनांक: 19/2/10

### विज्ञप्ति

इस विभाग द्वारा अकादमी सत्र 2011-12 हेतु नवीन निजी महाविद्यालय खोलने/पूर्व संचालित महाविद्यालयों के अस्थाई/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् दिनांक 31.08.2010 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा रू0 10,000/- विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 30.09.2010 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। डी.डी. एक ही आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के नाम संलग्न करें।

अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र इस विभाग की बेवसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। बिना निर्धारित प्रपत्र में भरे आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा।

*K. Ar. Siloliya*

(के.आर. सिलोलिया)  
आयुक्त